

11.03.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह सियाग उपस्थित।  
विप्रार्थी संख्या 1 से 3 व 5 के अधिवक्ता उपस्थित।  
शेष विप्रार्थीगण के बावजूद तामीली अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध  
एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस है कि  
प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्ड्ड खातेदार हैं और रिकार्ड्ड खातेदार अपनी  
खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाने के लिए स्वतंत्र है। जिसके प्रार्थीगण  
हकदार भी है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सेढा पर पक्की माटें व सीमा  
चिन्ह नहीं होने से प्रार्थीगण अपनी भूमि पर काशत करने से वंचित रह जाते हैं।  
अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि स्थाई समाधान के लिए नेखमबन्दी आदेश प्रदान  
किया जावे। विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया उक्त आवेदन  
के संबंध में वर्तमान में विवादित आराजी की सीमाएं आपस में ओवरलेप होने तथा  
सुरियों का मिलान नहीं होने से नेखमबन्दी के आदेश की पालना किया जाना संभव  
नहीं होने से आवेदन खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक  
अवलोकन किया। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि के रिकार्ड्ड खातेदार होने से  
अपनी आराजी की नेखमबन्दी करवाने हेतु स्वतंत्र है। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा अपनी  
भूमि की पक्की नेखमबन्दी बाबत आवेदन पेश किया गया है, जिसका प्रार्थीगण  
अधिकारी है। विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा आवेदन पर आपत्ति करते हुए वर्तमान में  
विवादित आराजी की सीमाएं आपस में ओवरलेप होने तथा सुरियों का मिलान नहीं  
होने से नेखमबन्दी के आदेश की पालना किया जाना संभव नहीं होने से आवेदन  
खारिज करने का निवेदन किया गया है, जबकि उक्त के संबंध में कोई दस्तावेजी  
साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। प्रार्थीगण उक्त आराजी के रिकार्ड्ड खातेदार होने से  
अपनी खातेदारी की नेखमबन्दी करवाने हेतु स्वतंत्र है तथा साथ ही यदि किसी  
पक्षकारान् को कोई उजर एतराज है तो वे नेखमबन्दी पालना के दौरान अपना पक्ष  
रखने हेतु स्वतंत्र है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार किया  
जाकर पूर्व में सीमाज्ञान करते हुए नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत  
नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा जालीला,  
तहसील शिव में अवस्थित खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 1506/1279 रकबा 6.  
7582 हैक्टेयर विवादित भूमि के संबंध में पूर्व में सीमाज्ञान की नियमानुसार  
कार्यवाही करें। सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार वहन किया जायेगा।  
तत्पश्चात कार्यवाही विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए  
नेखमबन्दी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक नीम्बला को कमिश्नर नियुक्त किया  
जाता है। उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण को पूर्व में जरीये नोटिस/पत्र  
से सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर शुल्क  
500/- प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर एस.एच.ओ. शिव से  
पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। भू-अभिलेख निरीक्षक  
नीम्बला बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।



सुख  
हुक्म  
अधिकारी  
शिव  
नम्बर